न्यायालय सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय) जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 27/2012

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. छीतरनाथ पुत्र विजयनाथ, जाति–जोगी, निवासी–ग्राम भांकरोटा, तहसील –फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/1 शंकरलाल पुत्र छीतरनाथ, जाति–जोगी, निवासी–ग्राम भांकरोटा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/2 मोहनी पुत्री छीतरनाथ, जाति–जोगी, निवासी–ग्राम भांकरोटा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/3 गीता पुत्री छीतरनाथ, जाति–जोगी, निवासी–ग्राम भांकरोटा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
   - 1/4 काली पुत्री छीतरनाथ, जाति–जोगी, निवासी–ग्राम भांकरोटा, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 एल0आर0 एक्ट
सपठित धारा 232 आर0टी0 एक्ट,1955)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय **दिनांक : 28.11.2017**

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 1051 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा सिवायचक गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है, जो दिनांक 29.06.1976 को छीतरनाथ पुत्र श्री विजयनाथ, जाति–जोगी के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–268 छीतरनाथ के नाम खातेदारी दर्ज होने के फलस्वरूप नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में छीतरनाथ के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन तलाई आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक गैर–मुमकीन तलाई किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 1051 रकबा 4 बीधा 17 बिस्वा सिवायचक गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है, जो दिनांक 29.09.1976 को छीतरनाथ पुत्र श्री विजयनाथ, जाति–जोगी के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–268 छीतरनाथ के नाम खातेदारी दर्ज होने के फलस्वरूप नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में छीतरनाथ के नाम दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 1051 रकबा 4 बीधा 17 बिस्वा ग्राम भांकरोटा छीतरनाथ पुत्र श्री विजयनाथ, जाति–जोगी को दिनांक 29.06.1976 को आवंटन किया गया हैं। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0–268 के कॉलम सं0–14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। आवंटन दिनांक को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन तलाई की आराजी को छीतरनाथ पुत्र विजयनाथ, जाति–जोगी को आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी की फौतगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वारिसान को तलब किया गया। आंवटी/खातेदार के जायज वारिसान बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे अतः अनुपस्थिति की दशा में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 ग्राम भांकरोटा की आराजी खसरा नम्बर 1051 रकबा 4 बीधा 17 बिस्वा सिवायचक गैर–मुमकिन तलाई दर्ज है, जो छीतरनाथ पुत्र विजयनाथ, जाति–जोगी के हक में आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–268 छीतरनाथ के नाम खातेदारी दिये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थी छीतरनाथ की खातेदारी में नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन तलाई आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को आवंटन दिनांक को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन तलाई दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का आवंटन छीतरनाथ पुत्र विजयनाथ, जाति–जोगी को दिनांक 29.06.1976 को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–268 ग्राम भांकरोटा से होती है। विवादग्रस्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन तलाई की भूमि की निजी खातेदारी

किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन तलाई भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन तलाई भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामत: उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1051 रकबा 4 बीधा 17 बिस्वा वाके ग्राम भांकरोटा आवंटन दिनांक 29.06.1976 बहक छीतरनाथ पुत्र विजयनाथ, जाति–जोगी को निरस्त करने एवं इस आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिना लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन तलाई दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु मा0 राजस्व मण्डल राज0, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दि0 29.01.2018 को प्रात: 10.00 बजे मा0रा0म0राज0, अजमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली मा0राजस्व मण्डल राज0, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 28.11.2017 को सुनाया गया।

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर